दिनांक 08–02–2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. सूची संलग्न।

2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि पिछले कुछ महिनों से जिलाधिकारियों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि मुख्य सचिव द्वारा बिजली आपूर्त्ति के संबंध किये जा रहे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से बिजली क्षेत्र में सुधार हो रहा है एवं बिजली संबंधी शिकायतों की संख्या में काफी कमी आयी है।

3. तीन महीना पहले जहाँ राज्य में करीब 750 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब थे वहाँ अभी मात्र 224 वितरण वितरण ट्रान्सफॉरमर ही खराब है। राज्य के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या शून्य हो गयी है। 24 घण्टा में शहरी क्षेत्र एवं 72 घण्टा में ग्रामीण क्षेत्र में खराब ट्रान्सफॉरमरों को बदलने का लक्ष्य छः माह में निश्चित रूप से प्राप्त किया जाना।

4. राज्य के वितरण क्षेत्र के जर्जर तार को बदले जाने के कार्य में तेजी लायी जाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्त्ति सुचारू रूप से किया जा सके। विद्युत वितरण प्रणाली के अन्य कमियों को दूर किया जाना है यथा वितरण ट्रान्सफॉरमर एवं कंडक्टर की क्षमता की कमी को दूर किया जाना है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में बिद्युत आपूर्त्ति प्रणाली के constraints को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दूर कराये जाने के कार्य को जिलाधिकारी स्तर पर अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया ताकि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्त्ति की जा सके।

5. जिलाधिकारियों को यह जवाबदेही दी गयी है कि जिले में जहाँ भी तार जर्जर स्थिति में है प्राथमिकता तय कर रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग कार्य का अनुश्रवण किया जाना है एवं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत पायी जाती है तो उसकी सूचना शीघ्र ऊर्जा सचिव को दी जानी है। सभी जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि रिकंडक्टरिंग में कोई गड़बड़ी ना हो।

6. मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में की जा रही बिजली आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि

जिले में बिजली आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए मीटर अधिष्ठापन, मीटर रिडिंग, मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण एवं विपत्रीकरण के अनुसार राजस्व संग्रहण के कार्यों का सभी जिलाधिकारी अपने स्तर पर अनुश्रवण करेंगे।

7. मुख्य सचिव द्वारा बिजली चोरों पर सख्ती करने का निदेश दिया गया। बड़े उपभोक्ता जो ज्यादा बिजली का खपत कर रहे हैं या जिनके यहाँ ज्यादा पैसा बकाया है उनके यहाँ निश्चित रूप से छापेमारी की जानी है तथा गलत रूप से बिजली के उपभोग करते पाये जाने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जानी है।

8. ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने की दिशा में काफी कार्य हुआ है जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे राज्य में मात्र 224 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है (दक्षिणी बिहार में 60 एवं उत्तरी बिहार में 164)। इन सभी खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को भी शीघ्र बदल दिया जाना है। अभी भी कुछ जिलों में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या अधिक है उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप की संख्या बढ़ायी जा रही है। कटिहार एवं चन्दौती में स्थापित ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप का क्षमता विस्तार किया जा रहा है एवं बाह्य एजेन्सियों से खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को मरम्मत कराने हेतु निविदा निर्गत किया गया है।

9. ऊर्जा सचिव ने बताया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures यथा प्रोपर साईज का फ्यूज, अर्थिंग, फेज बैल्सिंग, सिलिका जेल की जाँच एवं सही मात्रा में ट्रान्सफॉरमर ऑयल का रहना इत्यादि पर कम्पनी के क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहे हैं। निदेश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures निश्चित रूप से अपनाया जाय ताकि अगले विडियों कॉफ्रेन्सिंग तक खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या में कमी लाया जा सके। जिलाधिकारी भी अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे कि किस क्षेत्र में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर नहीं खराब हुआ है क्योंकि कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का यह performance indicator होगा।

10. निदेश दिया गया कि जो भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है उसकी सूचना मुख्यालय को संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता द्वारा शीघ्र भेजी जानी है ताकि उसे कम्पनी के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जा सके तथा जिस दिन वितरण ट्रान्सफॉरमर बदला जायेगा उसकी सूचना भी मुख्यालय को शीघ्र भेजी जानी है ताकि तत्संबंधी सूचना कम्पनी के वेबसाईट पर उलब्ध करा दिया जायेगा।

11. खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को निर्धारित अवधि में बदले जाने हेतु बिजली कम्पनी के प्रत्येक प्रमंडलीय भंडार में कुछ वितरण ट्रान्सफॉरमर का भंडारण किया जाना है। सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि प्रमंडल में वितरण ट्रान्सफॉरमर रखे जाने हेतु भंडार की योजना तैयार कर ली जानी है।

12. ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि बिजली आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व संग्रहण की स्थिति दयनीय है। ऐसी स्थिति में बिजली की आपूर्त्ति करना मुश्किल है। अतः राजस्व संग्रहण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य में अभी भी करीब 9,00,000 ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या है जिनके यहाँ मीटर अधिष्ठापित नहीं है एवं फिक्सड विपत्रीकरण हो रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन के कार्य हेतु एजेन्सी चयन का अधिकार विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल स्तर पर दे दिया गया है तथा मुख्यालय स्तर से एजेन्सी चयन हेतु कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। मार्च, 2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है। जिलाधिकारी स्तर पर समीक्षा कर सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाये जाने के कार्य का सम्पादन शीघ्र कराया जाना है। ऐसा पाया गया है कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया गया है परन्तु उन्हें अभीतक बिलिंग सायकिल में नहीं लाया जा सका है। निदेश दिया गया कि वैसे अमीटरीकृत उपभोक्ताओं जिनके यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया गया है उन्हें शीघ्र बिलिंग सायकिल में लाया जाना है।

13. ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु एजेन्सियों की नियुक्ति कम्पनी मुख्यालय स्तर पर की जाती थी जिसे विकेन्द्रीकरण करते हुए विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल स्तर से एजेन्सी नियुक्त करने का अधिकार इस शर्त्त के साथ दिया गया है कि प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में इस कार्य के सम्पादन हेतु कम–से–कम एक एजेन्सी की नियुक्ति की जानी है तथा शत–प्रतिशत मीटर पठन एवं विपत्र वितरण का कार्य सुनिश्चित कराया जाना है।

14. राज्य में AT&C loss 58 प्रतिशत है जबकि देश के अन्य राज्यों में 25–30 प्रतिशत है। राजस्व संग्रहण को बढ़ाकर इस लॉस को कम किया जाना है। पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनियों के क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिया गया है कि एन.डी.एस./एल.टी. आई.एस./एच.टी. उपभोक्ताओं के परिसरो की जाँच तथा बिजली चोरी के विरूद्ध बड़े पैमाने पर छापेमारी कर राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी करना है। सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने स्तर पर इसका अनुश्रवण कर इस कार्य को कराया जाना है। इस संबंध कम्पनी मुख्यालय द्वारा निदेश निर्गत किया गया है कि किस स्तर के क्षेत्रीय अभियन्ता माह में किस श्रेणी के कितने विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों की जाँच करेंगे। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि गलत ढ़ंग से बिजली के

उपभोग के पुनरावृति के मामले में नियमानुसार निश्चित रूप से अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना है चूँकि दूसरी बार बिजली की चोरी या अधिक विद्युत भार का उपभोग करते पाये जाने पर compounding की व्यवस्था नहीं है।

15. ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि रिकंडक्टरिंग हेतु पर्याप्त सामानों यथा कंडक्टर, फैब्रिकेटेड मैटेरियल इत्यादि सभी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल को उपलब्ध करा देने का निदेश दिया जा चुका है। प्रमंडलवार 25ckm प्रतिमाह रिकंडक्टरिंग कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। परन्तु कुछ प्रमंडल को छोड़कर कहीं भी 25ckm प्रतिमाह रिकंडक्टरिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर अनुश्रवण कर इस कार्य को लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

16. ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत सात जिला मुख्यालय शहरों (आरा, बक्सर, बिहारशरीफ, बेतिया, मोतीहारी, बेगुसराय एवं समस्तीपुर) का विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना है। इन जिलों के जिलाधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि अपने स्तर पर अनुश्रवण कर अपने जिला मुख्यालय शहर के विद्युत वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण इस योजना के अन्तर्गत करा लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

17. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का संशोधित डी.पी.आर. बिजली कम्पनी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है तथा अनुरोध किया गया है कि संशोधित डी.पी.आर. में जिले का कोई गाँव/टोला/बसावट छूटा हुआ है तो संबंधित गाँव/टोला/बसावट का नाम शीघ्र बिजली कम्पनी मुख्यालय को भेजा जाना है। निदेश दिया गया कि संशोधित डी.पी.आर. की प्रति स्थानीय जन–प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दिया जाना है ताकि वे भी इसे देख लें।

18. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि पूर्व में मुख्यालय द्वारा निर्गत उच्च विभव उपभोक्ताओं के परिसरों की जाँच हेतु चेक–लिस्ट निर्गत किया गया था उसे संशोधित कर चेक–लिस्ट भेजा गया है। निदेश दिया गया कि संशोधित चेक–लिस्ट के अनुसार नियमित एवं लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से उच्च विभव उपभोक्ताओं का निरीक्षण किया जाना है। इसी प्रकार एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं के निरीक्षण हेतु भी चेक–लिस्ट भेजा जा रहा है तथा इसी चेक–लिस्ट के अनुसार नियमित एवं लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं का निरीक्षण किया जाना है।

19. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि पावर सब–स्टेशन के निरीक्षण इत्यादि के लिए निदेश दिए जा चुके हैं। प्रत्येक कनीय विद्युत अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार में 1–2 पावर सब–स्टेशन अवस्थित है। कनीय विद्युत अभियन्ता को प्रतिदिन पावर सब–स्टेशन में जाना है तथा गहराई से उसका निरीक्षण किया जाना है तथा पावर सब–स्टेशन में preventive measures सुनिश्चित करना है। कनीय

विद्युत अभियन्ता द्वारा बिजली की कम उपलब्धता की स्थिति में फीडर को rotate कर सभी फीडरों में बिजली की आपूर्त्ति सुनिश्चित की जानी है।

20. विद्युत वितरण कम्पनियों के कनीय विद्युत अभियन्ताओं/सहायक विद्युत अभियन्ताओं को निदेश दिया जा चुका है कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की सूचना मिलते ही संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता को वहाँ जाना है तथा वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों की जाँच की जानी है साथ ही वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने के समय भी वहाँ स्थानीय अभियन्ता को निश्चित रूप से उपस्थित रहना है ताकि ट्रान्सफॉरमर बदले जाने में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा सके।

21. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि पिछले विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में कई जिलाधिकारियों द्वारा रविवार को विद्युत विपत्र भुगतान काउण्टर को खोले जाने की बात कही गयी थी। कम्पनी मुख्यालय द्वारा रविवार को विद्युत विपत्र भुगतान काउण्टर को खोले जाने संबंधी आदेश निर्गत कर दिया गया है तथा मंगलवार को विद्युत विपत्र भुगतान काउण्टर के कर्मियों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

22. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि सरकारी विभागों के मुख्यालय से विद्युत मद में आवंटित राशि एवं विद्युत विपत्र बकाये की राशि में काफी अन्तर रह जाता है। विद्युत वितरण कम्पनियों के क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिया जा चुका है कि सरकारी उपभोक्ताओं का नियमित रूप से विपत्रीकरण एवं विपत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कराया जाना है। सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि साप्ताहिक टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को विद्युत विपत्र के बकाये राशि के अनुरूप अपने विभाग से आवंटन प्राप्त कर भुगतान हेतु निदेश दिया जाना है।

23. निदेश दिया गया कि मिशन एरिया के जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु महाप्रबन्धक अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे तथा आपसी संवाद के माध्यम से उसे दूर करना सुनिश्चित करेंगे। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम किये जाने की कार्रवाई हो रही है।

24. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि पिछले एक माह से विद्युत संकट की स्थिति है जिसके कारण लोड–शेडिंग करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव के स्तर पर इस संबंध में क्रेन्द्रीय सचिव(विद्युत) को पत्र लिखा गया है तथा दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भी बिहार में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

25. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि नाबार्ड फेज–XI के ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों एवं लघु जल संसाधन विभाग को सौंपे गये राजकीय नलकूपों की संख्या में काफी अन्तर है। जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वैसे सभी राजकीय नलकूपों को जो पूर्णरूपेण ऊर्जान्वित कर दिये गये हैं तथा किसी भी प्रकार का कोई विद्युत दोष नहीं है उसे निश्चित रूप से शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय।

26. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि सहज वसुधा केन्द्र की जिलावार सूची भेज दी गयी है। अतः जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने स्तर से सहज वसुधा केन्द्र पर विद्युत विपत्र के भुगतान संबंधी सूचना का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार करा दें ताकि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सके।

27. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे रिकंडक्टरिंग के कार्यो का अपने स्तर से जाँच करा लें।

28. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने निदेश दिया कि विद्युत कनीय अभियन्ता स्तर पर सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर का Master List तैयार किया जाना है।

29. निदेशानुसार सरकारी उपभोक्ताओं का जनवरी,2013 से विद्युत विपत्र दो प्रतियों में निर्गत किया गया है तथा निदेश दिया गया है कि संबंधित विभाग से विद्युत विपत्र के दूसरी प्रति पर विपत्र प्राप्ति ले लिया जाना है। जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण कर ये सुनिश्चित हो लें कि सभी सरकारी उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र प्राप्त हो गया है।

30. अगले विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में राजस्व संग्रहण संबंधी प्रतिवेदन, उच्च विभव उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को हटा कर, तैयार किया जाना है ।

31. प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड ने निदेश दिया कि विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का चेक लिस्ट अवर प्रमंडलवार है अतः जिलाधिकारियों को टास्क फोर्स की बैठक में अवर प्रमंडलवार विवरणी उपलब्ध कराया जाना है ताकि उनके द्वारा गहन रूप से समीक्षा की जा सके।

32. पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी का कोई भी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने मुख्यालय में नहीं रहते है तो वैसे पदाधिकारियों के संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से कम्पनी मुख्यालय को बताया जाना है ताकि उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

33. निदेश दिया गया कि जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध निलामवाद दायर किया गया है उनके परिसर में निश्चित रूप से छापेमारी की जानी है तथा यह सुनिश्चित हो लेना है कि उनके द्वारा गलत रूप से बिजली का उपभोग तो नहीं किया जा रहा है।

34. शहरी क्षेत्र में करीब सभी मीटरीकृत उपभोक्ता हैं। अतः निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटर पठन किया जाना है एवं मीटर पठन के आधार पर शत–प्रतिशत सही विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

35. **जहानाबाद जिलाः**

35.1 जिले के सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 4.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

35.2 जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

35.3 जिले के बभना एवं टाउन नं.2 11 के0वी0 फीडर एवं जहानाबाद शहर के एल.टी. लाईन में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति पर है।

35.4 जिले में 14 उभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण/छापेमारी की गयी जिसमें 05 व्यक्तियों पर धारा 135 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज किया गया तथा 09 उपभोक्ताओं पर धारा 126 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी।

35.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 99 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 63 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं 23 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 10 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। एक ऊर्जान्वित राजकीय नलकूप के वितरण ट्रान्सफॉरमर में ट्रान्सफॉरमर ऑयल नहीं पाया गया, इस पर ऊर्जा सचिव द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गयी तथा कहा गया कि टी.आर.डब्ल्यू., पटना में का reclaimed transformer oil का भंडार है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल को पाँच–पाँच ड्रम reclaimed transformer oil की आपूर्त्ति का निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है। पुनः निदेश दिया गया है कि सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल को पाँच–पाँच ड्रम reclaimed transformer oil की आपूर्त्ति शीघ्र की जानी है।

35.6 विद्युत स्पर्शाघात से जिले में एक व्यक्ति की मृत्यू हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा मुआवजे हेतु मामले को बिजली ऑफिस को भेज दिया गया है परन्तु अभीतक मामला लम्बित है। इस मामले का निष्पादन शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

35.7 जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 07–02–2013 को विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कार्यालय बहुत ही खराब स्थिति में है। 11.20 बजे तक विद्युत विपत्र भुगतान काउण्टर पर कोइ भी पैसा लेने वाला नहीं था। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि निरीक्षण के दौरान जो भी अनुपस्थित पाये गये हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

35.8 जिले में 119 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 43 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है। राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जिले में मीटर अधिष्ठापन, मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु एजेन्सियों की नियुक्ति हुई है या नहीं। जिलाधिकारी अपने स्तर पर अनुश्रवण कर शत–प्रतिशत मीटरींग, मीटर पठन एवं विपत्रीकरण का कार्य लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से करायेंगे। जिले में अधिक संख्या में नये विद्युत संबंध हेतु आवेदन लम्बित है। मीटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है अतः शीघ्र सभी नये विद्युत संबंध के लम्बित आवेदनों का निष्पादन कराया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि बिजली उपभोक्ता चाहते हैं कि मीटर लगे, उन्हें समय पर विपत्र मिले ताकि विपत्र का भुगतान किया जा सके परन्तु बिजली कम्पनी द्वारा ना तो समय पर मीटर अधिष्ठापित किया जा रहा है ना ही समय पर विपत्र उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है जिसके कारण किये गये विद्युत आपूर्त्ति एवं राजस्व संग्रहण में इतना बड़ा अन्तर है। मुख्य सचिव द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत मीटरींग, मीटर पठन एवं विपत्रीकरण सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

35.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर सब–स्टेशन में सर्किट ब्रेकर नहीं लगाया गया है उसं शीघ्र लगाया जाना आवश्यक है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जा चुका है कि पावर सब–स्टेशन के VCB, relay, सर्किट ब्रेकर को चालू स्थिति में रखा जाना है।

35.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 07–02–2013 को भेज दिया गया है।

35.11 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिला में विद्युत सामग्रियों की चोरी की लम्बी सूची है जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है, एफ.आई. आर. संख्या सहित सूची जिलाधिकारी को भेजी गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012 में बिजली तार की चोरी के मामले में सात

व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य मामले में भी कार्रवाई की जा रही है।

35.12 प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि जिले के बंधुगंज फीडर के उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन नहीं करने संबंधी समस्या है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समस्या का समाधान हो गया है तथा मीटर अधिष्ठापन का कार्य हो रहा है।

35.13 प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि प्रमंडलीय भंडार में ट्रान्सफॉरमर ऑयल एवं वितरण ट्रान्सफॉरमर का अतिरिक्त भंडारण किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय के निरीक्षण के दरम्यान 11.30 बजे तक स्टोर कीपर उपस्थित नहीं थे जिसके कारण भंडार का निरीक्षण नहीं किया जा सका।

35.14 प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि पी.एच.ई.डी. के मीनी वाटर सप्लाई के 05 स्कीम का पैसा जमा होने के बावजूद विद्युत संबंध नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण कर पाँचों मीनी वाटर सप्लाई स्कीम का विद्युत संबंध शीघ्र करा दिया जाना है। एक माह से अधिक अवधि से लम्बित नये विद्युत संबंध के आवेदनों का जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण कर इसका निष्पादन कराने का अनुरोध किया गया।

36. पटना जिलाः

36.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

36.2 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 23 वितरण ट्रान्सफॉरमर (63 के.वी.ए. का 07 एवं 100 के.वी.ए. का 16) खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र, पटना द्वारा बताया गया कि टी0आर0डब्ल्यू0 से सप्ताह में रोस्टर के आधार पर प्रत्येक प्रमंडल को एक दिन ही वितरण ट्रान्सफॉरमर निर्गत किया जाता है तथा ट्रान्सफॉरमर खराब होने की दर ज्यादा है जिसके कारण समय अधिक लग जाता है। निदेश दिया गया कि जहाँ जरूरत है वहाँ निश्चित रूप से तुरत वितरण ट्रान्सफॉरमर टी0आर0डब्ल्यू0 द्वारा निर्गत किया जाना है। प्रबंध निदेशक (साउथ) को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसका अनुश्रवण कर निर्धारित अवधि में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदला जाना सुनिश्चित करायें।

36.3 जिले में जनवरी,13 में धारा 135 के अन्तर्गत 150 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है तथा धारा 126 के अन्तर्गत 50 विद्युत उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

36.4 जिले में 933 मिलियन यूनिट (पेसू को छोड़कर) बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 497 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उच्च विभव वाले उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व एवं बकाये राशि की वसूली के अलावे क्या राजस्व संग्रहण हुआ है उसका विवरण अगली बार से दिया जाना हे। राजस्व संग्रहण में काफी सुधार की आवश्यकता है। पेसू क्षेत्र में शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ता हैं अतः शत–प्रतिशत मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित कराया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी की नियुक्ति सुनिश्चित कर शीघ्र सभी के यहाँ मीटर अधिष्ठापन करा कर शत–प्रतिशत विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है।

36.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में ROW एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जिले में पाँच पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता थी। घोसवरी एवं धनरूआ का मैप दिनांक 07–02–2013 को जमा किया गया है। बेलदारीचक में चिन्हित जमीन लघु जल संसाधन विभाग का था जिसके संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कुछ पृच्छा के साथ प्रस्ताव लौटाया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी इसकी जाँच कर शीघ्र प्रतिवेदन भेज देंगे। केवरा एवं नौबतपुर के जमीन का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

36.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहटा में 220/132 के.वी. ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 10 एकड़ चरवाहा विद्यालय का जमीन हस्तानान्तरण के प्रस्ताव को कृषि विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः नये जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया में है। करबिगहिया के स्वीचिंग सब–स्टेशन हेतु जमीन का प्रस्ताव अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा भेजा गया है जिसे कुछ त्रुटि के निराकरण हेतु लौटा दिया गया है, इसे शीघ्र करा दिया जायगा।

36.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 193 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 59 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 48 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 10 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों में तार की चोरी हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी मेसर्स सुप्रीम कं0 द्वारा

लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से कार्य नहीं किया जा रहा है, अतः एजेन्सी पर कार्रवाई की जानी है।

36.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर दिनांक 25–02–2013 तक प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा।

37. नालन्दा जिलाः

37.1 जिले में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

37.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

37.3 293 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 90.25 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 40 प्रतिशत विपत्रीकरण हो रहा है जिसमें से अधिक संख्या में विपत्रीकरण फिक्सड रेट पर हो रहा है। मीटरीकृत उपभोक्ताओं का शत–प्रतिशत विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर सुनिश्चित कराया जाना है। जिलाधिकारी अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करायेंगे कि जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार निश्चित रूप से विपत्र निर्गत किया जाना है तथा किये गये विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध कितने यूनिट का विपत्रीकरण हो रहा है इसका भी अनुश्रवण किया जाना है।

37.4 जिले में पिछले माह 67 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक माह रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

37.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 116 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करना है जिसमें से 57 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 14 राजकीय नलकूपों का कार्य प्रगति में है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी मेसर्स सुप्रीम कं0 द्वारा फरवरी,2013 तक शेष सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।

37.6 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिले के तीन प्रखंडों यथा कराय परसुराय, एकंगरसराय एवं बिहारशरीफ में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है। एकंगरसराय एवं बिहारशरीफ में सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा जमीन हस्तानान्तरण की कार्रवाई प्रगति में है। कराय परसुराय हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया था

परन्तु वह उपयुक्त नहीं रहने के कारण दूसरा जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई प्रगति में है।

37.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर दिनांक 09–02–2013 तक भेज दिया जायगा।

37.8 जिले में 30,000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। अभीतक इस कार्य हेतु एक ही एजेन्सी की नियुक्ति की गयी है। प्रबंध निदेशक (साउथ) द्वारा निदेश दिया गया कि अवर प्रमंडलवार एजेन्सी का चयन कर शीघ्र अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है।

37.9 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में निर्गत किये जा रहे विद्युत विपत्र में पूर्व का बकाया नहीं दर्ज किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि विपत्र में पूर्व का बकाया निश्चित रूप से दर्ज किया जाना है।

37.10 मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति ठीक है परन्तु राजस्व संग्रहण की स्थिति चिंताजनक हैं। राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

38. बक्सर जिलाः

38.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 3.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

38.2 जिले के शहरी क्षेत्र में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63 के.वी.ए. का 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

38.3 जिले में पिछले माह 52 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया हैं रिकंडक्टरिंग हेतु तीन ठीकेदार कार्यरत हैं।

38.4 जिले में पिछले माह 35 परिसरों में निरीक्षण/छापेमारी किया गया। धारा 135 के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा रू0 30.58 लाख का जुर्माना लगाया गया जिसके विरूद्ध रू0 1.90 लाख की वसूली की गयी। धारा 126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए रू0 32 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

38.5 जिले में मीटर पठन एवं विपत्र वितरण एजेन्सी को बदल दिया गया है। मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु अवर प्रमंडलवार एजेन्सी रखा जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु एजेन्सी नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया

गया कि मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु किसी लाईसेन्सी एजेन्सी को रखा जाना आवश्यक नहीं है, किसी भी एजेन्सी को इस कार्य हेतु रखा जा सकता है।

38.6 जिले में 136 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 75 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। रू0 376 लाख राजस्व संग्रहण निर्धारण के विरूद्ध रू0 259 लाख का राजस्व संग्रहण किया गया है।

38.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जबही दियारा के ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है। पावर ग्रीड द्वारा अभी काम शुरू नहीं किया गया है।

38.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गंगा पम्प हाउस के लिए 133 के.वी. नया लाईन का चौसा से 11.50 कि.मी. का कार्य हो गया है तथा शेष 4.5 कि.मी. का कार्य इस माह पूरा कर लिया जायगा।

38.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 64 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 34 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यरत एजेन्सी मेसर्स कैपिटल पावर के साथ कार्यों की समीक्षा की गयी थी तथा कार्यरत एजेन्सी द्वारा शेष राजकीय नलकूपों को शीघ्र ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।

38.10 जिले के चक्की प्रखंड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया गया है तथा केसट पावर सब–स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

38.11 चौसा पावर प्लान्ट के निजी भू–मालिकों को भुगतान किया जा रहा है। सिकरौर गाँव के किसानों द्वारा भुगतान नहीं लिया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिकरौर गाँव के किसानों से बात कर भुगतान करा दिया जायगा।

38.12 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि बक्सर जिला में वर्षा कम हुई थी। पुराने नलकूपों को भी चालू किया जाना आवश्यक है, जो सम्प्रति ऊर्जान्वित नहीं हैं या अन्य विद्युत दोष के कारण बंद है उसे शीघ्र ठीक कराने का अनुरोध किया गया ताकि किसानों द्वारा समय पर बिचड़ा गिराया जा सके।

38.13 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

38.14 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत ऊर्जान्वित कर दिये गये शेष राजकीय नलकूपों को भी शीघ्र चालू कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाना है।

38.15 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि ए.डी.बी.योजना के अन्तर्गत बक्सर शहर के विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ीकरण किया जाना है जिसमें पावर सब–स्टेशन की क्षमता विस्तार, रिकंडक्टरिंग, वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार इत्यादि कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन एजेन्सी मेसर्स ए2जेड के कार्यों की समीक्षा करते हुए बक्सर शहर के विद्युत वितरण प्रणाली को पूर्णरूपेण सुदृढ़ीकरण कराया जाना है।

38.16 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि जिले में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहे हैं यथा नवम्बर,12 में 12, दिसम्बर,12 में 16 एवं जनवरी,13 में 08 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए हैं। इतनी संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होना यह दर्शाता है कि वितरण ट्रान्सफॉरमर के रख रखाव में preventive measures नहीं अपनाये जा रहे है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures अपनाये जा रहे हैं इसे जिलाधिकारी सुनिश्चित करायें।

39. भोजपुर जिलाः

39.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

39.2 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

39.3 जिले में 31 बाउ रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस माह में रिकंडक्टरिंग कार्य की गति बढ़ायी जायगी।

39.4 जिले में जनवरी,2013 में बिजली चोरी एवं विद्युत भार निरीक्षण के मामले में धारा–135 के अन्तर्गत 17 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं धारा–126 के अन्तर्गत भी 17 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत करीब रू0 5.00 लाख का जुर्माना किया गया है जिसके विरूद्ध मात्र रू0 42 हजार की वसूली हो पायी है। इस माह में 07 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है जिसमें रू0 25.89 लाख का जुर्माना किया गया है।

39.5 सर्टिफिकेट केस के 11 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। अन्य मामलों की सुनवाई हो रही है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि

सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में अपेक्षित/प्रभावकारी कार्रवाई की जानी है।

39.6 जिले में 121 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 110 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। रू0 531.56 लाख राजस्व एसेसमेंट के विरूद्ध रू0 448.92 की वसूली की गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि जिले में विद्युत आपूर्त्ति एवं विपत्रीकरण के यूनिटों को चेक करा लें।

39.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 106 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 88 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं 46 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। बताया गया कि 33 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूप भी सौंपे जाने की स्थिति में हैं उसे भी शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगा।

39.8 उप विकास आयुक्त ने बताया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन दस दिनों के अन्दर कर के भेज दिया जायगा।

39.9 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि जिले में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहे हैं यथा दिसम्बर,12 में 22 एवं जनवरी,13 में 11 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए हैं। निदेश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures अपना कर वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की संख्या पर काबू पाया जाना है।

39.10 मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जहाँ बार–बार वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है वहाँ खराब होने के कारणों की जाँच कराये कि नियमित उपभोक्ताओं का विद्युत भार ज्यादा है या फिर बिजली की चोरी हो रही है, प्रोपर साईज का फ्यूज इस्तेमाल नहीं किया गया या और कोई कारण है। यदि उपभोक्ताओं द्वारा गैरकानूनी तरीके से फ्यूज में मोटा तार लगा दिया जाता है तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जानी है। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों की जाँच करा कर सुनिश्चित हो लें कि वितरण ट्रान्सफॉरमरों में सभी preventive measures अपनाये गये हैं तथा लोड अधिक नहीं है। यदि preventive measures नहीं अपनाये गये हैं तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानी है तथा लोड अधिक तो वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार या अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने की कार्रवाई की जानी है।

40. रोहतास जिलाः

40.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

40.2 जिले में तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब था उसे भी बदल दिया गया है। अभी कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर जिले में खराब नहीं है।

40.3 जिले में जनवरी,2013 में 60 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

40.4 जिले में जनवरी,2013 में विद्युत चोरी के विरूद्ध 12 छापेमारी की गयी थी तथा 12 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। फरवरी,2013 में 06–02–2013 तक 30 जगहों पर छापेमारी की गयी तथा 29 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है एवं 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। रू0 3.70 लाख का जुर्माना किया गया जिसमें से रू0 2.00 लाख की वसूली की गयी है।

40.5 जिले के सासाराम एवं डिहरी में क्रमशः 16 के0वी0ए0 वितरण ट्रान्सफॉरमर एवं कंडक्टर की चोरी हुई है जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

40.6 जिले में किये गये विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 30 प्रतिशत का विपत्रीकरण हुआ है। रू0 500.68 लाख राजस्व एसेसमेंट के विरूद्ध रू0 329.65 लाख की वसूली की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अभी एक ही विपत्रीकरण एजेन्सी कार्यरत है तथा एक और विपत्रीकरण एजेन्सी की आवश्यकता है। मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु 05 एजेन्सियों का चयन कर लिया गया है तथा दो दिनों के अन्दर एजेन्सियों के साथ एग्रीमेन्ट कर लिया जायगा।

40.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 47 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष 09 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष पाया गया, विद्युत दोष शीघ्र दूर कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगां

40.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जमीनं का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

40.9 ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है, जिस उपभोक्ता के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाता है उसे निश्चित रूप से बिलिंग सायकिल में लाया जाना है तथा प्रत्येक माह मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया

जाना है। प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु कम–से–कम एक एजेन्सी निश्चित रूप से रखा जाना है।

40.10 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने निदेश दिया कि जिले के दोनो विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में प्रमंडलीय भंडार निश्चित रूप से बना लिया जाना है ताकि वितरण ट्रान्सफॉरमर एवं ट्रान्सफॉरमर ऑयल का भंडारण किया जा सके।

41. कैमूर जिलाः

41.1 जिले में विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ बिजली दो–तीन घण्टा ही मिल पा रहा है जिसके कारण जनता द्वारा जी.टी.रोड जाम कर दिया जाता है एवं विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगती है। पर्याप्त बिजली आपूर्त्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

41.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 1.45 घंटा ही बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

41.3 जिले में 27 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब थे जिसे बदल दिया गया है, अभी जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

41.4 जिले में नये ट्रान्सफॉरमर रिपेयर वर्कशॉप के निर्माण हेतु दो दिन पूर्व से असैनिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

41.5 जिले में 30 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य जनवरी,2013 में किया गया है। रिकंडक्टरिंग निर्धारित लक्ष्य अनुसार निश्चित रूप से कराया जाना है।

41.6 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 14 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा रू0 7.79 लाख का जुर्माना किया गया जिसके विरूद्ध रू0 2.99 लाख की वसूली की गयी।

41.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जायगी।

41.8 जिले के राजस्व एसेसमेंट रू0 4.78 करोड़ के विरूद्ध रू0 1.84 करोड़ की वसूली की गयी है। बिलिंग दक्षता 72 प्रतिशत है। राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है इसमें अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

41.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 110 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 32 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 38 राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति में है।

41.10 पी.एच.ई.डी. के मीनी वाटर आपूर्त्ति के 08 में से 06 में सुपरविजन चार्ज जमा कर दिया गया है।

41.11 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जमीनं का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन 19.01.2013 को भेज दिया गया है। भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

41.12 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुदरा एवं भभुआ विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में मीटर पठन एवं विपत्र वितरण हेतु एजेन्सी चयन कर लिया गया है।

41.13 मेसर्स रूची सोया को विद्युत आपूर्त्ति हेतु 33 के0वी0 डेडीकेटेड फिडर के कार्य को जिले के महमुदगंज में बाधित कर दिया गया था। ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है तथा कार्य शुरू हो गया है।

41.14 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य में बिजली की कमी के कारण कैमूर जिला में भी बिजली की आपूर्त्ति में कमी आयी है। बिजली उपलब्धता बढ़ने पर कैमूर की बिजली आपूर्त्ति में सुधार कर दिया जायगा।

41.15 कैमूर जिला में औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन एवं मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

41.16 मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन के कार्य का अपने स्तर से अनुश्रवण कर अप्रैल,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

42. औरंगाबाद जिलाः

42.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में बिजली आपूर्त्ति की स्थिति ठीक नहीं है, 8–8.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

42.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

42.3 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। जिले के शहरी क्षेत्र में प्रतिमाह औसतन 7–8 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है, इसमें कमी लाने की आवश्यकता है।

42.4 जिले में 29 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

42.5 जिले में जनवरी,2013 में 57 परिसरों में निरीक्षण/छापेमारी की कार्रवाई की गयी जिसमें से धारा–135 के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी एवं धारा–126 के अन्तर्गत 18 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की

गयी। धरा–135 के अनतर्गत रू0 28.72 लाख का जुर्माना लगाया गया जिसमें से रू0 2.50 लाख की वसूली की गयी।

42.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत सामग्रियों की चोरी के सभी मामलों की जाँच एवं त्वरित कार्रवाई हेतु एक आरक्षी पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

42.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल स्तर पर एजेन्सियों की नियुक्ति कर ली गयी है तथा इस माह से नियमित रूप से मीटरींग, मीटर पठन एवं विपत्र वितरण के कार्य का सम्पादन शुरू हो जायगा।

42.8 जिले में रू0 8.75 करोड़ राजस्व एसेसमेन्ट के विरूद्ध, पूर्व का बकाया छोड़कर, 85 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है।

42.9 जिले के डिहरा में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव कुछ पृच्छा के साथ लौटा दिया गया था, त्रुटि का निराकरण कर प्रस्ताव जिला स्तर से भेज दिया गया है।

42.10 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। कोई भी राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित नहीं किया जा सका है। पोल गाड़े जाने का कार्य शुरू किया गया है। कार्यरत एजेन्सी के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना है।

42.11 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जमीनं का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन मिल गया है उसे शीघ्र भेज दिया जायगा तथा भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन 10 दिनों के अन्दर भेज दिया जायगा

42.12 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रमंडलीय भंडार छोटा है जिसमें कंडक्टर का भंडारण किया गया है। वितरण ट्रान्सफॉरमर तथा ट्रान्सफॉरमर ऑयल के भंडारण हेतु एक भंडार की आवश्यकता है।

42.13 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर सब–स्टेशन में 4x5 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित है। एक 05 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर पर ग्रामीण फीडर के साथ औरंगाबाद शहर का भी एक फीडर को जोड़ा हुआ है। अतः 05 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर की जगह 10 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर लगाया जाना आवश्यक है।

42.14 जिले में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 70,000 से ज्यादा है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से 2–3 माह में मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है,

जिलाधिकारी अपने स्तर से इस कार्य का अनुश्रवण कर लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से मीटर अधिष्ठापन का कार्य सुनिश्चित करायेंगे।

42.15 ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों का जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

42.16 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में विद्युत आपूर्त्ति बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। जिले में विद्युत विपत्र के बकाये राशि में बढ़ोत्तरी हो रही है जिसे नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है।

43. नवादा जिलाः

43.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। कौआकोल, काशीचक एवं गोबिन्दपुर प्रखंड में विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति ठीक नहीं है।

43.2 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने हेतु गया से वितरण ट्रान्सफॉरमर निर्गत किया जाता है जिसके कारण परेशानी होती हैं। अतः अनुरोध किया गया कि नवादा या उसके आस–पास में टी0आर0डब्ल्यू0 के निर्माण पर विचार किया जाना है।

43.3 नवादा ग्रीड सब–स्टेशन में 2x20 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित है। जिले में विद्युत की माँग के मद्देनजर एक 20 एम.वी.ए. के पावर ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार करते हुए 50 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी द्वारा वारसलीगंज/रजौली में ग्रीड सब–स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

43.4 जिले में करीब 41000 अमीटरीकृत उपभोक्ता में से करीब 25000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित का कार्य पूरा हो गया है। शेष अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ भी निर्धारित अवधि निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायेगा।

43.5 जिले में 73 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 34 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किये गये विद्युत आपूर्त्ति के अनुसार विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है। जिले के राजस्व संग्रहण ऐसेसमेंट रू0 1.12 करोड़ के विरूद्ध रू0 66 लाख की वसूली की गयी है, इसमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटरींग एवं मीटर पठन के आधार पर

विपत्रीकरण कर राजस्व संग्रहण एवं विपत्रीकरण दक्षता में निश्चित रूप से सुधार लाया जाना है।

43.6 जिले में जनवरी,2013 में 54 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है। निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रतिमाह रिकंडक्टरिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

43.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 37 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 23 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 12 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 04 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष पाया गया जिसे शीघ्र ठीक करा दिया जायगा।

43.8 जिले में जनवरी,2013 में 58 परिसारों में निरीक्षण/विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी की गयी तथा धारा–135 के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी तथा पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 4.34 लाख का जुर्माना किया गया जिसके विरूद्ध रू0 2.54 लाख की वसूली की गयी। धारा–126 के अन्तर्गत 18 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी तथा उन पर रू0 1.04 लाख का जुर्माना चार्ज किया गया।

43.9 प्रबंध निदेशक (साउथ) द्वारा निदेश दिया गया कि नवादा प्रमंडल में नये विद्युत संबंध हेतु शिविर आयोजित किया जाना है तथा शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तुरत करते हुए एजेन्सी द्वारा नये उपभोक्ताओं को यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर कनेक्शन की प्रक्रिया को पूरी कर ली जानी है। वारसलीगंज एवं रजौली अवर प्रमंडल की स्थिति ठीक नहीं है अतः जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि वहाँ के सहायक विद्युत अभियन्ताओं को बुला कर उनके कार्यों की समीक्षा की जानी है।

44. अरवल जिलाः

44.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में औसतन 3–4 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है। सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

44.5 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है।

44.6 जिले में माह जनवरी,2013 में 33 के0वी0 लाईन में 03 कि0मी0 एवं 11 के0वी0 लाईन में 103 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। 57 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का सामान और उपलब्ध करा दिया गया है।

44.7 ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में विद्युत सामग्रियों की चोरी के अधिक मामले हैं जिसमें प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है ताकि विद्युत सामग्रियों की चोरी पर काबू पाया जा सके।

44.8 जिलाधिकारी द्वारा कलेर पावर सब–स्टेशन को शीघ्र ऊर्जान्वित किये जाने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि कलेर पावर सब–स्टेशन के ऊर्जान्वयन की समस्याओं के संबंध में पावर ग्रीड के कार्यकारी निदेशक से बात हुई है एवं शीघ्र ही कार्य शुरू करवा दिया जायगा।

44.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्र में विद्युत विपत्र के बकाया है यथा कुर्था, करपी प्रखंड इत्यादि में वहाँ के उपभोक्ताओं का कहना है कि बिना बिजली उपलब्धता के ही विपत्रीकरण किया रहा है। इसकी जाँच करायी जानी है।

44.10 जिलाधिकारी द्वारा अरवल में प्रमंडलीय भंडार बनवाये जाने का अनुरोध किया गया तथा विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का भी कार्यालय नहीं होने के कारण पावर सब–स्टेशन में ही बैठते हैं। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता (असैनिक) दिनांक 09–02–2013 को अरवल जायेंगे तथा शीघ्र विद्युत कार्यपालक अभियन्ता हेतु कार्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएगें।

44.11 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अरवल में कर्मियों की कमी है।

44.12 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सोनभद्र में पावर सब–स्टेशन हेतु 50 डिसमिल सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा उस जमीन तक सड़क का भी निर्माण कराया जा रहा है।

44.13 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 36 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 29 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। शेष में कार्य प्रगति पर है।

44.14 जिलाधिकारी ने बताया पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के क्रम में अतौलह का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। जिले में और किसी परिसम्पत्तियों की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने निदेश दिया कि मुख्य अभियन्ता (असैनिक) अरवल दौरे के समय शेष परिसम्पत्तियों से संबंधित विवरणी जिलाधिकारी को उपलबध करा देंगे।

45. भागलपुर जिलाः

45.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में पाँच घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

45.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है। दिनांक 07–02–2013 को एक 100 के.वी.ए. का वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो गया है जिसे शीघ्र बदल दिया जायगा।

45.3 जिले में 56 परिसरों में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी की गयी। धारा–135 के अन्तर्गत 26 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसमें रू013.74 लाख का जुर्माना किया गया जिसके विरूद्ध रू0 3.23 लाख की वसूली की गयी। धारा–126 के अन्तर्गत 36 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी।

45.4 रू0 8.17 करोड़ राजस्व संग्रहण ऐसेसमेन्ट के विरूद्ध रू0 6.46 करोड़ की वसूली की गयी है तथा 401 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 184.04 मिलियन यूनटि का विपत्रीकरण किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में करीब 64000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है उन सभी उपभोक्ताओं के यहाँ अप्रैल,2013 तक मीटर अधिष्ठापित निश्चित रूप से कर दिया जाना है। जिले के अभियन्ताओं का performance बहुत ही खराब है, अभी तक मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी का चयन नहीं किया गया है। यदि अभियन्ता अपने performance में सुधार नहीं लाते हैं तो कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है। निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटरिंग करते हुए शत–प्रतिशत मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित करते हुए की गयी विद्युत आपूर्त्ति के अनुरूप राजस्व संग्रहण किया जाना है।

45.5 पिरपैंती पावर प्लान्ट के हरिणकोल के किसानों का भुगतान शुरू कर दिया गया है। 409 एकड़ जमीन का दर निर्धारण का कार्य अगले सोमवार तक पूरा कर लिया जायगा।

45.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

45.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनवरी, 2013 में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के कार्य में कोई प्रगति नहीं है।

45.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाथनगर के बुनकरों की समस्याओं के संबंध में आयुक्त स्तर पर दिनांक 14.02.2013 को बुनकरों के साथ बैठक की जायगी जिसमें बूनकरों द्वारा विद्युत विपत्र के भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाना है।

45.9 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में करीब रू0 550 करोड़ बकाये के विरूद्ध रू0 300 करोड़ का ही सर्टिफिकेट केस किया गया हैं। निदेश दिया गया कि शेष बकाये राशि के विरूद्ध भी नीलामपत्र वाद दायर किया जाना है।

45.10 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि जिले में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहे है। दिसम्बर,12 एवं जनवरी,2013 में 63 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए है। निदेश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर के लिए preventive measures अपनाया जाना है।

46. बाँका जिलाः

46.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

46.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या शून्य है।

46.3 जिले में जनवरी, 2013 में 21.19 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

46.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछले पाँच दिनों में बिजली चोरी के मामले में 08 प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 04 उपभोक्ताओं के यहाँ विद्युत भार का निरीक्षण किया गया है।

46.5 जिले के टॉप 20 सर्टिफिकेट केस में कार्रवाई चल रही है।

46.6 जिले के फूलीडुमर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

46.7 जिले में अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु दिनांक 11.01.2013 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है।

46.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 03 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा शेष 05 में कार्य प्रगति में है एवं शीघ्र ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

46.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 30 प्रतिशत विपत्रीकरण हो रहा है। पुरानी विपत्रीकरण एजेन्सी को हटा कर नयी एजेन्सी की नियुक्ति की गयी है।

46.10 जिले में करीब 18000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। 2000 मीटर की आपूर्त्ति की गयी है जिसे शीघ्र अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ अधिष्ठापित कर दिया जायगा। मीटर अधिष्ठापन हेतु दो एजेन्सियों की नियुक्ति कर ली गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर तथा जिलाधिकारी द्वारा एजेन्सियों के कार्यों का अनुश्रवण करते हुए निर्धारित

अवधि में सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित सुनिश्चित करायें।

47. शेखपुरा जिलाः

47.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04.30 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

47.2 जिले में एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदल दिया जायगा।

47.3 जिले में 52.5 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

47.4 जिले में की जा रही विद्युत आपूर्त्ति का 45 प्रतिशत बिजली का विपत्रीकरण किया गया है। राजस्व संग्रहण 47प्रतिशत हैं। विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

47.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 14 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। तीन ऐसे राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है जहाँ का बोरिंग खराब हो गया है तथा पुनः वहाँ बोरींग ड्रील किया जाना है। निदेश दिया गया कि वैसे तीनों राजकीय नलकूपों का वितरण ट्रान्सफॉरमर शीघ्र हटा लिया जाना है।

47.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ए.डी.बी. सम्पोषित योजना के अन्तर्गत 132/33 के.वी. ग्रीड सब–स्टेशन, शेखपुरा के Bay Extension हेतु अधिगृहित जमीन का दर निर्धारण कर भेज दिया गया है।

47.7 ऊर्जा सचिव ने बताया कि राजस्व संग्रहण में काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या करीब 12000 है जबकि शेखपुरा एक छोटा जिला है। जिलाधिकारी को विशेष ध्यान देना होगा तथा सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवर प्रमंडलवार मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन के पश्चात् सभी उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकिल में लाया जाना है तथा सभी उपभोक्ताओं का मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

47.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा भवनों का पुनर्मूल्यांकन का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जमीन एवं भवनों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन भेज दिया जायगा।

47.9 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि मीटरिंग, राजस्व संग्रहण एवं राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन में कार्य कराये जाने की

जरूरत है। शेखपुरा सुखाग्रस्त क्षेत्र है इसलिए पावर कम्पनी को बिजली आपूर्त्ति के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

48. बेगुसराय जिलाः

48.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

48.2 जिले में 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

48.3 जिले में पिछले माह मात्र 05 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग का कार्य निश्चित रूप से कराया जाना है।

48.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 21 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा रू0 3.33 लाख का जुर्माना वसूला गया है।

48.5 सर्टिफिकेट केस के मामले में कार्रवाई हो रही है तथा रू0 4.00 लाख रूपये की वसूली भी की गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में बड़े–बड़े उपभोक्ताओं एवं कोल्ड स्टोरेज के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस लम्बित है। निदेश दिया गया कि बड़े बकायेदारों के विरूद्ध लम्बित सर्टिफिकेट केस के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए राशि की वसूली की जानी है।

48.6 जिले में 241 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 98 मिलियन यूनिट का ही विपत्रीकरण हुआ है। आपूर्त्ति किये गये बिजली के अनुरूप विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

48.7 जिले में करीब 49000 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभियान चला कर शीघ्र सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा। है। बेगुसराय में सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडलवार मीटर अधिष्ठापन एजन्सी की नियुक्ति नहीं की गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, बेगुसराय को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से अवर प्रमंडलवार मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी की नियुक्ति की जानी है अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

48.8 जिले में छौराही, गढ़पुरा एवं मंसूरचक प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है। छौराही एवं मंसूरचक में क्रमशः सरकारी जमीन एवं निजी जमीन चिन्हित कर ली गयी है तथा गढ़पुरा के लिए भूमि अर्जन किया जाना है।

48.9 जिले में नाबार्ड–XI के अन्तर्गत 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 54 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है तथा 36 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

48.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 220 के0वी0 क्ध्ब बेगुसराय–पूर्णियाँ संचरण लाईन के लोकेशन नं.–40 के ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है तथा टावर नं.40 का फॉउन्डेशन कार्य करा लिया गया है।

48.11 बेगुसराय में राजस्व संग्रहण की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। राजस्व संग्रहण में काफी सुधार की आवश्यकता है।

48.12 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

48.13 जिले में 11 जगह 11 के.वी. लाईन में ROW की समस्या को जिलाधिकारी के संज्ञान में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नहीं लाया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, मिथिला विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र को निदेश दिया गया कि सभी 11 जगहों के कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कहीं भी ROW की समस्या है उसे तुरत जिलाधिकारी को बताया जाना है।

48.14 जिले के प्रभारी सचिव ने बताया कि जिले का AT&C लॉस 72 प्रतिशत है इसमें सुधार किया जाना जरूरी है। जिले में मीटरीकृत उपभोक्ताओं का भी मीटर पठन नहीं होता है तथा विपत्र वितरण का कार्य भी नियमित रूप से नहीं हो रहा है। बरौनी एवं बछवारा अवर प्रमंडल में मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी की नियुक्ति हो गयी है तथा बेगुसराय प्रमंडल में भी शीघ्र ही मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी की नियुक्ति हो जायगी।

48.15 पी.एच.ई.डी. के मीनी वाटर स्कीम का सुपरविजन चार्ज जमा नहीं किया गया है।

48.16 बेगुसराय शहर के वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत कराया जाना है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि बेगुसराय में ए. डी.बी. योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए बेगुसराय के विद्युत वितरण संबंधी सभी कमियों को ठीक करवा लें।

48.17 जिले के सभी सर्टिफिकेट केस का रजिस्टर–9 एवं रजिस्टर–10 से मिलान करा लिया गया है तथा बॉडी वारण्ट भी निर्गत किया गया है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि जिनके विरूद्ध बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है उसे समाचार के रूप में प्रकाशित कराया जाना है। सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

49. जमुई जिलाः

49.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

49.2 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

49.3 जिले में रिकंडक्टरिंग के कार्य में धीमी प्रगति है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निश्चित रूप से रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

49.4 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 42 प्रतिशत एवं राजस्व संग्रहण दक्षता 45 प्रतिशत है। इसमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि राजस्व संग्रहण का जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा कर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

49.5 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 में 10 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत तीन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

49.6 सर्टिफिकेट केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस में त्वरित कार्रवाई की जानी है।

49.7 132 के0वी0 जमुई–शेखपुरा लाईन में तीन जगहों पर ROW की समस्या है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी तीनों जगहों के ROW की समस्या का शीघ्र समाधान करा दें।

50. मुँगेर जिलाः

50.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 06 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

50.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या शून्य है।

50.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध 46 परिसरों पर छापेमारी किया गया जिसमें 25 प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

50.4 रू0 372.80 लाख राजस्व संग्रहण ऐसेसमेंट के विरूद्ध रू0328.24 लाख की वसूली की गयी है जो करीब 88 प्रतिशत है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 153.58 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्त्ति की गयी है जिसके विरूद्ध मात्र 93 मिलियन यूनिट का ही विपत्रीकरण हुआ है जो करीब 62 प्रतिशत है, इस प्रकार overall performance करीब 54 प्रतिशत होता है। राजस्व संग्रहण एवं विपत्रीकरण में काफी सुधार की आवश्यकता है।

50.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। शेष 04 राजकीय नलकूपों के

ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति में है तथा कार्यरत एजेन्सी द्वारा फरवरी,2013 में ऊर्जान्वित कर दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

50.6 जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु 50 डिसमिल सरकारी जमीन चिन्हित कर हस्तानान्तरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

50.7 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि 132 के0वी0 क्ब्ब् सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन में इन्दरूख गाँव के नजदीक ROW की समस्या है जिसका समाधान शीघ्र कराया जाना आवश्यक है। अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समस्या का समाधान करा दिया गया है।

50.8 पी.एच.ई.डी. के मीनी वाटर सप्लाई के चार स्कीम में पैसा जमा हो गया है परन्तु अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। प्रबंध निदेशक (साउथ) द्वारा निदेश दिया गया कि मीनी वाटर सप्लाई के चारो स्कीम, जिसकी राशि जमा की गयी है, के लिए शीघ्र विद्युत कनेक्शन दिया जाना है।

51. लखीसराय जिलाः

51.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

51.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या शून्य है।

51.3 कजरा पावर प्लान्ट के 1240 एकड़ भूमि में से रैयती 719 एकड़ जमीन का भुगतान कर दिया गया है।

51.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 04 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। सात राजकीय नलकूपों में कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

51.5 जिले में 13847 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं। मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि निर्धारित अवधि में सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

51.6 रू0 310.72 लाख राजस्व संग्रहण एसेसमेंट के विरूद्ध रू0 167.37 लाख की वसूली की गयी है। राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

51.7 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध 17 परिसरों पर छापेमारी किया गया जिसमें 16 प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें रू0 35.37 लाख का जुर्माना किया गया है।

51.8 जिलें में 3.5 कि0मी0 रिकंडक्टरिंक का कार्य कराया गया है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा तय किये गये प्राथमिकता के आधार पर रिकंडक्टरिंग का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाना है।

51.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत स्पर्शाघात से जिले में तीन व्यक्तियों की मृत्यू हुई है परन्तु अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। मुआवजे का भुगतान शीघ्र कराया जाना है।

51.10 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि लखीसराय में बस–स्टैण्ड का उद्घाटन होना है, अतः 33 के.वी. पोल के shifting का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना है।

51.11 जिले के पिपरिया प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है तथा प्रस्ताव आयुक्त, मुँगेर को भेज दिया गया है।

51.12 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि 132 के0वी0 जमुई–शेखपुरा संचरण लाईन में जिले के हलसी प्रखंड में ROW की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवासीय क्षेत्र से टावर गुजर रहा था जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया था। वार्त्ता कर इस समस्या का समाधान करा दिया जायगा।

51.13 आयुक्त, मुँगेर द्वारा राय दी गयी कि पावर कम्पनी के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को दंडाधिकारी का पावर दे दिया जाय तथा फोर्स मुहैया कर दिया जाय तो निःसन्देह बिजली चोरी पर काबू पायी जा सकती है तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी। आयुक्त, मुँगेर द्वारा बताया गया कि विद्युत मद में सभी सरकारी विभागों को आवंटन मिलता है परन्तु पावर कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भुगतान हेतु सरकारी विभागों के पास दौड़ना पड़ता है। सरकारी विभाग के निकासी एवं व्ययनन पदाधिकारी का कार्य है कि विद्युत विपत्र का भुगतान करायें। कोई भी निजी / सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो विद्युत संबंघ विच्छेद किया जाना है।

51.14 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि लखीसराय में ए.डी.बी. योजना के अनतर्गत Bay Extension Project हेतु भूमि का 7/17 का प्रस्ताव भेजा गया है उसे शीघ्र निष्पादित किया जाना है।

52. खगड़िया जिलाः

52.1 जिले में 05 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब था जिसे बदल दिया गया है।

52.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

52.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि खगड़िया पावर सब–स्टेशन के 05 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर के बदले 10 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने की जरूरत है। इसे शीघ्र अधिष्ठापित करा दिया जाय।

52.4 जिले में पिछले माह 29 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

52.5 जिले में धारा–135 के अन्तर्गत बिजली चोरी के मामले में 13 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा रू0 3.61 लाख के जुर्माना के विरूद्ध रू0 1.46 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 13 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है तथा रू0 1.95 लाख के जुर्माना के विरूद्ध रू0 21.00 हजार की राजस्व वसूली की गयी है।

52.6 जिले में 71.86 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 37.33 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है तथा रू0 1.70 करोड़ राजस्व एसेसमेन्ट के विरूद्ध रू0 1.22 करोड़ का राजस्व वसूली की गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि निर्धारित अवधि में जिले के सभी 15000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराते हुए मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण कर राजस्व संग्रहण को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना है।

52.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 06 राजकीय नलकूप को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। शेष तीन राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति में है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा दो ऊर्जान्वित नलकूपों को भी शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया जाना है।

52.8 जिले में 10 उपभोक्ताओं के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस वाले सभी 10 उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया जाना है कि उनके द्वारा गलत रूप से बिजली का उपभोग तो नहीं किया जा रहा है।

53. मुजफ्फरपुर जिलाः

53.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 13 वितरण ट्रान्सफॉरमर जो दो महिनों से खराब है जिसका रिपोर्ट पावर कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं दी गयी है। मुख्य सचिव द्वारा खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की सूचना नहीं दिये जाने को गंभीरता से लिया गया एवं निदेश दिया गया क्षेत्रीय पदाधिकारी के

विरूद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जानी है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर (पूर्वी), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) एवं मुजफ्फरपुर (शहरी) प्रमंडलों में जनवरी, 2013 में 54 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को बदला गया है लेकिन 43 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब भी हुए हैं। किसी खास क्षेत्र में ज्यादा वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है तो निश्चित रूप से संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता के विरूद्ध कार्रवाई की जानी है।

53.2 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि राजस्व संग्रहण 60 प्रतिशत हुआ है तथा जिले में 435 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 259 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। राजस्व संग्रहण एवं आपूर्त्ति की गयी विद्युत के विरूद्ध विपत्रीकरण में काफी सुधार की आवश्यकता है। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण का साप्ताहिक समीक्षा कर इसे बढ़ाया जाना है।

53.3 जनवरी,2013 में जिले में 38.5 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य सम्पन्न हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रिकंडक्टरिंग के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायगा।

53.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 67 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। 62 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन के पश्चात् लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

53.5 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

53.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा त्वरित कार्रवाई कर इसका निष्पादन करा दिया जायगा। ऊर्जा सचिव ने बताया कि जिले में सर्टिफिकेट केस में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि बड़े–बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जानी है ताकि लोगों में संदेश जाय कि विद्युत विपत्र का बकाया निश्चित रूप से जमा ही करना पड़ेगा।

53.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

54. पश्चिम चम्पारण जिलाः

54.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

54.2 जिले में 26 वितरण ट्रान्सफॉरमर (63 के.वी.ए. का 21 एवं 100 के.वी.ए. का 05) खराब है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले को माह में औसतन 7–8 वितरण ट्रान्सफॉरमर निर्गत किया जाता है जबकि जिले में 7–8 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो जाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त एकमुश्त 10–15 वितरण ट्रान्सफॉरमर जिले के लिए निर्गत कर दिया जाता है तो समस्या का सामधान हो जाता।

54.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पावर कम्पनी का चार जगहों पर जमीन का अतिक्रमण कर लिये जाने का मामला था जिसमें से दो जगहों पर जमीन अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। शहर में दो जगहों पर दलित बस गये है, वहाँ का भी जमीन अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

54.4 जिले के चार प्रखण्डों यथा मधुबनी, ठकराहा, पीपरासी, भीठ्ठा में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

54.5 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 36 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें रू0 06.34 लाख रूपये का जुर्माना किया गया जिसके विरूद्ध रू0 3.89 लाख राजस्व की वसूली की गयी। धारा–126 के अन्तर्गत 16 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी तथा रू0 44.00 हजार का जुर्माना किया गया है।

54.6 निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 10 दिनों के अन्दर मीटर अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेंगे।

54.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से मात्र 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है तथा 16 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

54.8 मुख्य परियोजना प्रबंधक (तकनीकी सेवाएँ) द्वारा बताया गया कि मोतीहारी टी0आर0डब्ल्यू0 एक सप्ताह में काम करना शुरू कर देगा तथा फरवरी,2013 में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर का रिपेयर का कार्य हो जायगा।

54.9 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में चोरी की कई घटनायें हुई हैं। 100 के0वी0ए0 का वितरण ट्रान्सफॉरमर की भी चोरी हुई है परन्तु अभीतक

कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी कार्रवाई किया जाना है।

54.10 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में सर्टिफिकेट केस के मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस में अभियुक्तों का सही पता नहीं होने के कारण परेशानी होती है। निदेश दिया गया कि पावर कम्पनी के संबंधित पदाधिकारी निलामवाद पदाधिकारी से मिल कर इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाना है।

54.11 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति अत्यन्त ही खराब है, 80 प्रतिशत ए.टी. एण्ड सी. लॉस है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि बगहा एवं बेतिया में राजस्व संग्रहण बहुत कम है इसकी समीक्षा कर लें। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा निदेश दिया गया कि मीटरिंग, मीटर पठन एवं विपत्र वितरण एजेन्सी से लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से कार्य का सम्पादन कराया जाना है।

54.12 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ठकराहा ग्रीड सब–स्टेशन के निर्माण हेतु 2.28 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

55. पूर्वी चम्पारण जिलाः

55.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

55.2 जिले में 19 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

55.3 जिले में एल.टी.लाईन में 131 कि0मी0 का रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दुर्घटनासंभावित जगहों को चिन्हित कर दिया गया तथा उसी के अनुरूप रिंकंडक्टरिंग का कार्य कराया जायगा।

55.4 जिले में धारा–135 के अन्तर्गत 18 प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा रू0 5.92 लाख का जुर्माना किया गया है।

55.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में कोई कार्रवाई अभी नहीं हो पाया है। परन्तु इसके अलावे अन्य सर्टिफिकेट केस में रू0 3.30 लाख की वसूली की गयी है।

55.6 जिले के 09 प्रखण्डों में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है

55.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

55.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

55.9 ऊर्जा सचिव ने बताया कि जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें अधिक सुधार की आवश्यकता है।

55.10 ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सुगौली, पकड़ीदयाल इत्यादि जगहों के ROW की समस्या समाधान जिलाधिकारी शीघ्र करा दें।

55.11 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि रक्सौल, घोड़ासाहन, आदापुर में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में राजस्व संग्रहण बहुत कम हो रहा है, जिलाधिकारी इसकी समीक्षा अपने स्तर से कर लें।

56. सीतामढ़ी जिलाः

56.1 जिले में 33 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर से वितरण्र ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति के कारण समस्या होती है। अभी भी जिले में अगस्त,2012 में खराब हुए वितरण ट्रान्सफॉरमर को नहीं बदला जा सका है इसे प्राथमिकता पर बदला जाना है।

56.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रमंडलीय भंडार बहुत दिनों से बंद है क्योंकि कोई भी भंडारकर्मी वहाँ पदस्थापित नहीं है। मुख्य सचिव द्वारा पूछे जाने पर मुख्य अभियन्ता (भंडार एवं क्रय) द्वारा बताया गया कि सीतामढ़ी प्रमंडलीय भंडार में भंडारकर्मी के पदस्थापन का आदेश निर्गत हो गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि दो दिनों के अन्दर भंडारकर्मी निश्चित रूप से सीतामढ़ी प्रमंडलीय भंडार में पदभार ग्रहण करेंगे तथा प्रमंडलीय भंडार को चालू किया जाना है। निदेश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता (भंडार एवं क्रय) सीतामढ़ी जायेंगे तथा प्रमंडलीय भंडार की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि भंडारकर्मी द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है तथा प्रमंडलीय भंडार कार्य करना शुरू कर दिया है।

56.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोल एवं तार नहीं रहने के कारण जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, तिरहुत विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र दिनांक 09–02–2013 को सीतामढ़ी जा कर रिकंडक्टरिंग कार्य हेतु सामानों की कमी की समीक्षा करेंगे तथा जिलाधिकारी इस समस्या का समाधान करा लेंगे।

56.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 104 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 43 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया तथा 40 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

56.5 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

56.6 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध 15 छापेमारी किया गया जिसमें 07 प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

56.7 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति बहुत खराब है एवं इसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। बैरगनिया में मात्र रूपये दो लाख एवं रूनिसैदपुर में रूपये छः लाख का राजस्व संग्रहण हुआ है। सीतामढ़ी शहर का भी राजस्व संग्रहण बहुत कम है। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा कर राजस्व संग्रहण में सुधार लायेंगे।

56.8 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012 में दो उपभोक्ताओं के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि इन दोनों उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से इनके परिसरों का निरीक्षण किया जाना है कि गलत ढ़ंग से बिजली का उपभोग तो नहीं किया जा रहा है।

56.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि डुमरा पावर सब–स्टेशन की क्षमता विस्तार किये जाने की आवश्यकता है।

56.10 जिले में दो प्रखंड यथा परसौनी एवं बोखरा में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है। भूमि चिन्हित की जा रही है।

57. शिवहर जिलाः

57.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 2.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

57.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है।

57.3 जिले में 33 के.वी. लाईन में 09 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है। 11 के.वी. एवं एल.टी. लाईन में अभी रिकंडक्टरिंग का कार्य नहीं हो रहा है।

57.4 जिले में कोई भी सर्टिफिकेट केस दायर नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता जिले के बड़े बकायदारों के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया जाना है तथा विद्युत संबंध विच्छेद की कार्रवाई की जानी है।

57.5 जिले में 12.15 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 1.89 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हो पाया है। इसमें काफी सुधार सुनिश्चित किया जाना है। ऊर्जा सचिव बताया गया कि शिवहर में की गयी बिजली आपूर्त्ति की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत का विपत्रीकरण हो रहा है। इस माह की गयी विद्युत आपूर्त्ति का 80 प्रतिशत विपत्रीकरण विद्युत कार्यपालक अभियन्ता सुनिश्चित करायेंगे।

57.6 निदेश दिया गया कि सरकारी विभाग से विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु टास्क फोर्स की बैठक में आवंटन का भुगतान जिलाधिकारी करा देंगे।

57.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 30 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिमसें से 28 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं 16 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया हैं। शेष दो राजकीय नलकूपों का कार्य प्रगति में है।

57.8 ऊर्जा सचिव ने बताया कि शिवहर जिला में वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी से संबंधित पाँच प्राथमिकी दर्ज है परन्तु किसी भी मामले में उद्‌भेदन नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि इसे जिलाधिकारी प्राथमिकता पर कार्रवाई कर चोरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें।

57.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी.एच.ई.डी. के जलापूर्त्ति योजना के वितरण ट्रान्सफॉरमर से अन्य उपभोक्ताओं का भी कनेक्शन दे दिया गया है। वैसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन हटाया जाना है।

57.10 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु डुमरी एवं पुरनहिया में जमीन शीघ्र चिन्हित करने हेतु जिलाधिकारी को कहा गया।

57.11 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी हेतु विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को जिलाधिकारी द्वारा पुलिस बल मुहैया करा देंगे।

58. बैशाली जिलाः

58.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया।

58.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 2.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

58.3 जनवरी,2013 में जिले में रू05.8 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया।

58.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि देसरी एवं सहदेई बुजुर्ग में पावर सब–स्टेशन के निमार्ण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

58.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर 15.02.2013 तक भेज दिया जायगा।

58.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 138 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जानाह है जिसमें से 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 29 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। कार्यरत एजेन्सी का कार्य संतोषजनक नहीं है अतः एजेन्सी पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

58.7 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य असंतोषजनक है। अभीतक मात्र 03 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का ही कार्य कराया गया है। निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

58.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र के सड़क के पोल को शिफ्ट किया जाना है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि पोल शिफटिंग डिपोजिट वर्क है। यह काम रोड डिपार्टमेंट द्वारा खुद किया जाना है। पावर कम्पनी मात्र सुपरविजन करेगा।

58.9 सम्प्रति राघोपुर का प्रशासनिक नियंत्रण विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, फतुहा का है। इसे बैशाली जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में देने का अनुरोध किया गया।

58.10 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) महनार एवं महुआ के राजस्व संग्रहण की स्थिति में सुधार हेतु जिलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना है।

59. सारण जिलाः

59.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 19 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

59.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

59.3 जिले में जनवरी,2013 में 19 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है।

59.4 जिले में 99 परिसरों पर विद्युत चोरी एवं विद्युत भार निरीक्षण हेतु छापेमारी की गयी। धारा–135 के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा धारा–126 के अन्तर्गत 31 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी।

59.5 जिले में रू0 4.11 करोड़ की राजस्व वसूली की गयी है। सरकारी उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र दे दिया गया है, रू0 1.93 करोड़ का आवंटन सरकारी विभागों को मिला है जिसकी वसूली कर ली जायगी। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि 225 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 77

मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है। निदेश दिया गया कि इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

59.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 115 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

59.7 जिले के पाँच प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चार जगहों पर सरकारी जमीन का राज्यादेश निर्गत हो गया है तथा एक जगह के लिए जमीन चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया में है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा अपर जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि रिबिलगंल में पावर सब–स्टेशन हेतु प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराया जाना है।

59.8 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा निदेश दिया गया कि दिघवारा, सोनपुर एवं छपरा (ग्रामीण) में विशेष अभियान चलाकर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

59.9 अपर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

60. सिवान जिलाः

60.1 जिले के 10 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के ममाले में 09 जगहों का जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई हो रही है तथा जिरादेई के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है।

60.2 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 63 के.वी.ए. का 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

60.3 जनवरी, 2013 में 05 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

60.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध 25 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसमें तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है एवं रू0 2.59 लाख की जुर्माना की वसूली की गयी है।

60.5 जिले में रू0 1.76 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है, पिछले माह की तुलना में सुधार हुआ है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में कुल बिजली आपूर्त्ति का करीब 60 प्रतिशत विपत्रीकरण हो रहा है तथा उसके विरूद्ध करीब 50 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है यानि कुल बिजली आपूर्त्ति का 30 प्रतिशत राजस्व वसूला गया एवं 70 प्रतिशत ए.टी.एण्ड सी. लॉस है। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा कर राजस्व संग्रहण एवं विपत्रीकरण में सुधार सुनिश्चित करायेंगे।

60.6 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

60.7 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि सिवान जिला में पिछले माह 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी इसकी समीक्षा कर कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता पर जबावदेही तय करेंगे।

60.8 जिले में नाबार्ड–XI के अन्तर्गत 98 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है परन्तु अभीतक एक भी राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित नहीं किया गया है।

60.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिवान ग्रीड सब–स्टेशन का ब्रेकर खराब हो गया था जिसके कारण पंचरूखी फीडर में दोनों पावर ट्रान्सफॉरमर बंद हो गया था तथा अभी भी एक पावर ट्रान्सफॉरमर बंद है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ब्रेकडाउन को तत्परता से attend किया जाना है तथा इस तरह की घटना की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए।

60.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन का कार्य हो गया है तथा भवन का पुनर्मूल्यांकन कर 15–02–2013 तक प्रतिवेदन भेज दिया जायगा।

61. गोपालगंज जिलाः

61.1 जिले में 63 के.वी.ए. का पाँच वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

61.2 जिले में पिछले माह 10.05 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुश्रवण कर इस कार्य में प्रगति लायी जानी है।

61.3 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 02.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

61.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध 20 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है एवं रू0 06.05 लाख की जुर्माना की वसूली की गयी है।

61.5 सरकारी विभागों से रू0 39.02 लाख की राजस्व वसूली की गयी है।

61.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 90 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 13 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया हे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी का कंट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है।

61.7 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में राजस्व वसूली की स्थिति बहुत खराब है। करीब 45 प्रतिशत विपत्रीकरण हो रहा है तथा उसका 50 प्रतिशत राजस्व वसूली की जा रही है। जिले में 78 प्रतिशत ए.टी.एण्ड सी. लॉस है। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली एवं विपत्रीकरण के कार्यों की समीक्षा कर सुधार लाया जाना है।

61.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामले में कार्रवाई की जा रही है तथा इसमें और तेजी लायी जायेगी। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सहायक विद्युत अभियन्ताओं को पुलिस बल मुहैया करायेंगे ताकि सर्टिफिकेट केस वाले परिसरो की छापेमारी की जा सके तथा बिजली चोरी पकड़े जाने पर निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जानी है।

61.9 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 25 के.वी.ए. के कई वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी हो गयी है जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जानी है।

62. दरभंगा जिलाः

62.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

62.2 जिले में 173 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग के कार्य का जाँच करा लिया जाना है तथा यह भी सुनिश्चित हो लेना है कि released materials भंडार में जमा करा दिया गया है।

62.3 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 22 एवं शहरी क्षेत्रों में 11 परिसरों पर विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी की गयी जिसमें 15 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 2.23 लाख का जुर्माना लगाया गया है जिसके विरूद्ध रू0 62 हजार की वसूली की गयी है।

62.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में नोटिश निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित हो लें कि सर्टिफिकेट केस वाले उपभोक्ताओं द्वारा अभी भी बिजली का उपभोग किया जा रहा है या नहीं

62.5 जिले में 133.86 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 63.79 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी की नियुक्ति कर ली गयी है तथा इस माह

में निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण एवं विपत्रीकरण में सुधार हो जायगा। ऊर्जा सचिव द्वारा शहरी क्षेत्र में बहुत कम विपत्रीकरण पर चिंता व्यक्त की गयी।

62.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 33 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

62.7 जिलाधिकारी द्वारा पंडासराय पावर सब–स्टेशन में एक अतिरिक्त 05 एम.वी. ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने का अनुरोध किया गया।

62.8 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि दरभंगा मे वितरण ट्रान्सफॉरम खराब होने की संख्या ज्यादा है, जनवरी में ग्रामीण क्षेत्र में 18 एवं शहरी क्षेत्र में 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है तथा 44 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को बदला गया है। निदेश दिया गया कि यदि किसी खास क्षेत्र में वितरण ट्रान्सफॉरमर ज्यादा खराब हो रहा है तो संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता एवं सहायक विद्युत अभियन्ता पर कार्रवाई की जानी है।

62.9 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा निदेश दिया गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 एवं शहरी क्षेत्रों में 1300 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

62.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यांकन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेज दिया जायगा।

63. मधुबनी जिलाः

63.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

63.2 जिले में तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

63.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया जिले में रिकंडक्टरिंग के कार्य से संबंधित मासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आगे से रिकंडक्टरिंग का मासिक प्रतिवेदन भेजा जाना है।

63.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के सर्टिफिकेट केस से संबंधित सेक्सन में आग लग जाने के कारण सभी कागजात जल गये। सर्टिफिकेट केस से संबंधित रजिस्टर–09 की अभिप्रमाणित छायाप्रति विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, मधुबनी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फिर से सर्टिफिकेट केस दायर करनी संबंधी फी नहीं लिये

जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हो जाता तो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जायगी।

63.5 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में मीटर रिडिंग एजेन्सी की नियुक्ति कर ली गयी है इसकी समीक्षा जिलाधिकारी अपने स्तर से कर लें।

63.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है तथा जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

63.7 जिले के नारायणपुर में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेज दिया गया था जो कुछ पृच्छा के साथ प्रस्ताव वापस कर दिया गया है।

63.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 64 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि जिलाधिकारी अपने हस्ताक्षर से दोनों विभाग के पदाधिकारियों को संयुक्त सत्यापन हेतु दिन निर्धारित कर निदेश देंगे तथा विद्युत कार्यपालक अभियन्ता संयुक्त सत्यापन के समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

63.9 जिले में 50000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि फीडरवार मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी रख कर दिनांक 30–04–2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

63.10 ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में स्थापित सहज वसुधा केन्द्र का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करा दें ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा इसका लाभ उठाया जा सके।

64. समस्तीपुर जिलाः

64.1 जिले में 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। पिछले माह 22 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लोड ज्यादा होने के कारण ट्रान्सफॉरमर खराब हो जा रहा है ऐसे वितरण ट्रान्सफॉमर की क्षमता विस्तार किया जाना आवश्यक है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures अपनाये गये है।

64.2 जिले में पिछले माह 28 कि0मी0 रिंकडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

64.3 जिले में 67 परिसरों में छापेमारी/निरीक्षण कराया गया। धारा–135 के अन्तर्गत 35 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 19.44 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया जिसके विरूद्ध 9.50 लाख रूपये की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 22 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बड़े–बड़े होटल पर भी छापेमारी की गयी है।

64.4 सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामले में 2.08 लाख रूपये की वसूली की गयी है। 171 सर्टिफिकेट केस का निष्पादन कर रू0 30.00 लाख की वसूली की गयी है।

64.5 सरकारी विभागों से 22.00 लाख रूपये का विद्युत विपत्र बकाया की वसूली की गयी है।

64.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में 14 जगहों पर ROW की समस्या है जिसमें से 04 जगहों की समस्या का समाधान करा दिया गया है। राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन में 06 जगहों पर ROW की समस्या है जिसमें से 01 का समाधान करा दिया गया है। शेष सभी ROW की समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

64.7 मोहनपर में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु दान में दिये गये जमीन का निबंधन करा दिया गया है।

64.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 125 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 98 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर 78 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। शेष 27 राजकीय नलकूपों का काम प्रगति में है।

64.9 प्रबंध निदेशक द्वारा वित्त नियंत्रक (राजस्व) को निदेश दिया गया कि समस्तीपुर जिला के एक लाख रूपये से अधिक बकायेवाले उपभोक्ताओं की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे।

64.10 जिले में मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी की नियुक्ति कर ली गयी है। जिले में 50,000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है जिनके यहाँ दिनांक 30.04.2013 तक निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि हर बिन्दु पर लक्ष्य निर्धारित कर जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया जाय ताकि लक्ष्य के अनुसार समीक्षा करते हुए कार्य का सम्पादन कराया जा सके।

64.11 कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्युत विपत्र का काफी बकाया है जिसे जिलाधिकारी समीक्षा कर बकाये की वसूली करा दी जानी है।

65. सहरसा जिलाः

65.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पावर कम्पनी के रिपोर्ट के अनुसार 02 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है तथा जिला प्रशासन के रिपोर्ट के अनुसार 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता एवं जिलाधिकारी एक साथ बैठकर खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या के संबंध में समीक्षा कर संयुक्त प्रतिवेदन शीघ्र ऊर्जा सचिव को भेजा जाना है। समीक्षा के दौरान यदि किसी पदाधिकारी द्वारा वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की सूचना को दबाया गया हो तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

65.2 जिले में 57.5 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

65.3 जिले में 25 परिसरों में छापेमारी/निरीक्षण कराया गया। धारा–135 के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 4.78 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया जिसके विरूद्ध 1.10 लाख रूपये की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 04 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

65.4 जिले में 90.02 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 47.83 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

65.5 जिले में करीब 20000 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी सहायक विद्युत अभियन्ता/कार्यपालक विद्युत अभियन्ता के साथ मीटर अधिष्ठापन कार्य का साप्ताहिक समीक्षा कर लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

65.6 ऊर्जा सचिव द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में कम–से–कम एक मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी रख कर शत–प्रतिशत मीटर पठन एवं विपत्र वितरण सुनिश्चित किया जाना है।

65.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 27 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 13 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है।

65.8 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति बहुत खराब है। सहरसा शहर में भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अनुश्रवण कर राजस्व संग्रहण में सुधार लाना सुनिश्चित करायेंगे।

65.9 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि सहरसा जिला में कंडक्टर की चोरी की घटनाएँ हुई है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चोरी के तार के साथ एक चोर को पकड़ लिया गया है।

65.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर शीघ्र भेज दिया जायगा।

66. मधेपुरा जिलाः

66.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

66.2 जिले में दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

66.3 जिले में एल.टी.लाईन में 22 की0मी0 एवं 11 के.वी. लाईन में 06 की0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

66.4 धारा–135 के अन्तर्गत 09 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 2.28 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया जिसके विरूद्ध 1.23 लाख रूपये की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 01 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

66.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में कुछ खानापुरी किया जाना है तत्पश्चात् नोटिश निर्गत कर बॉडी वारण्ट निर्गत किये जाने की कार्रवाई शीघ्र कर दी जायगी।

66.6 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 63 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र 13 मिलियन यूनिट का विपत्रीकरण हुआ है जिसके विरूद्ध 70 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है। इस प्रकार 14 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली की गयी है। निदेश दिया गया कि विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में निश्चित रूप से अधिक सुधार लायें अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायगी।

66.7 प्रबंध निदेशक(नॉर्थ) द्वारा बताया गया कि उदाकिशनगंज में विपत्रीकरण दक्षता की स्थिति बहुत ही खराब है, मधेपुरा में भी 35 लाख रूपये का राजस्व संग्रहण हुआ है। निदेश दिया गया कि स्थिति में सुधार लायें अन्यथा कम्पनी मुख्यालय से एस.टी.एफ. भेजकर छापेमारी करायी जायगी तथा एस. टी.एफ. द्वारा चोरी पकड़े जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायगी।

67. सुपौल जिलाः

67.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

67.2 जिले में 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

67.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध 29 जगहों पर छापेमारी की गयी है जिसमें 12 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा 7.84 लाख रूपये की जुर्माना वसूला गया है।

67.4 जिले में किये गये बिजली आपूर्त्ति का 31 प्रतिशत विपत्रीकरण हो रहा है तथा रू0 1.66 करोड़ की राजस्व वसूली की गयी है। निदेश दिया गया कि इसमें काफी सुधार किया जाना है।

67.5 जिले में 34 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है।

67.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 25 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से 20 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। 09 राजकीय नलकूप कार्यरत है, 07 में बिजली उपलब्ध नहीं है।

67.7 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, सुपौल का विपत्रीकरण दक्षता 10 प्रतिशत है। निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता विपत्रीकरण दक्षता बढ़ाने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करें।

67.8 जिले में वितरण ट्रान्सफॉरमर चोरी का 26 मामला दर्ज है, इसमें त्वरित कार्रवाई कर दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जानी है।

68. पूर्णियाँ जिला :

68.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

68.2 जिले में की गयी बिजली आपूर्त्ति का 60 प्रतिशत बिजली का विपत्रीकरण किया गया है। इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।

68.3 सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों मे 6 केस में वारण्ट निर्गत किया गया है।

68.4 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत सामग्रियों की चोरी का तीन मामला दर्ज किया गया है। निदेश दिया गया कि चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई किया जाना है।

68.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अवर प्रमंडलवार मीटररिंग एजन्सी की नियुक्ति कर ली गयी है।

69. कटिहार जिलाः

69.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

69.2 जिले में 126 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 76 मिलयिन यूनिट का विपत्रीकरण किया गया है। इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

69.3 सर्टिफिकेट केस के 20 टॉप मामलों में दो का पता गलत है, शेष पर कार्रवाई की जा रही है। रू0 3.50 लाख रूपये की वसूली की गयी है।

69.4 जिले में उपभोक्ताओं के परिसरों के निरीक्षण एवं विद्युत चोरी के विरूद्ध दो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के विरूद्ध गहन छापेमारी की जानी है।

69.5 मुख्य अभियन्ता (असैनिक) द्वारा बताया गया कि कटिहार टी0आर0डब्ल्यू0 की क्षमता विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

69.6 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि दिसम्बर,2012 में रू0 367 लाख राजस्व संग्रहण हुआ था एवं जनवरी,2013 में रू0 386 लाख की वसूली की गयी है, निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार किया जाना है।

70. अररिया जिलाः

70.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

70.2 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 03 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

70.3 जिले में 54 परिसरों में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी की गयी तथा रू0 11.40 लाख का जुर्माना लगया गया।

70.4 भरगावाँ प्रखंड का प्रशानिक अधिकार विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ का है जिससे कार्य में असुविधा होती है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि भरगावाँ का प्रशासनिक अधिकार फारबिसगंज विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल को दिया जाय।

70.5 जिले में जनवरी,2013 में दो 16 के.वी.ए. वितरण ट्रान्सफॉरमर की चोरी हो गयी है। निदेश दिया गया कि चोरी के मामले में जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जानी है।

70.6 जिले के सर्टिफिकेट केस के 65 मामले का निष्पादन किया गया है एवं रू0 16.50 लाख की राजस्व की वसूली की गयी है।

70.7 जिले में जनवरी,2013 में 16.5 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है।

70.8 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति चिंताजनक है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण में काफी सुधार करें।

70.9 जिले में पी.एच.ई.डी. में 15 जलापूर्त्ति योजना है जिसमें 13 जलापूर्त्ति योजना को चालू कर दिया गया है।

71. **किशनगंज जिला:**

71.1 जिले में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्ति हो रही है।

71.2 जिले में वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 के.वी.ए./25 के.वी.ए. का 246 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदला जाना आवश्यक है।

71.3 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 37 प्रतिशत है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

71.4 जिले में मीटरिंग हेतु सभी तीनो अवर प्रमंडल में अलग–अलग एजेन्सी की नियुक्ति कर दी गयी है।

71.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 14 राजकीय नलकूपों को ऊजान्वित कर दिया गया है।

71.6 कोचाधामन पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

71.7 नीलामपत्र वाद के 20 बड़े बकायदारों में से 08 के विरूद्ध वारण्ट निर्गत कर दिया गया है।

71.8 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध 08 प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

71.9 किशनगंज में एक प्रमंडलीय भंडार कार्यरत करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया।

71.10 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि किशनगंज जिला में 115 सहज वसुधा केन्द्र कार्यरत है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करा दें।

71.11 जिले के टेढ़ागाँछ प्रखंड का विद्युतीकरण किया जाना है।

71.12 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि 18522 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ 31–03–2013 तक निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

ह0/–
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–19 / 12 1018 पटना, दिनांक– 22/2/13

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/13
सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–19 / 12 1018 पटना, दिनांक– 22/2/13

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ।

अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बिहार स्टेट पवार (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना के संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।

22/2/13
सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।